नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा

(दिनांक 05/09/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

हाइब्रिड मोड के माध्यम से 05/09/2023 को सुबह 11:00 बजे श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय अतिरिक्त वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती सुमित ग्रोवर, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) पी.पी. सिंह, एईई, यूपीपीसीबी और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) 16/08/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

16/08/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 16/08/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित कर रहा है।

2.1 यह बताया गया कि मेसर्स पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड ने " सादे सोने के आभूषण (71131911) (24865 किलोग्राम प्रति वर्ष) के निर्माण" के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सुरेंद्र मलिक

2.2 श्री प्रशांत गर्ग, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री गर्ग ने बताया कि कंपनी वर्तमान में चावल निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है और इसके लिए हरियाणा के सोनीपत में एक घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई है। अब उन्होंने सोने के आभूषणों के विनिर्माण और निर्यात के व्यवसाय में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि वे या तो सोने का आयात करेंगे या इसे भारतीय बैंकों से खरीदेंगे और आभूषणों को मुख्य रूप से दुबई और हांगकांग में निर्यात करेंगे।

2.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रवर्तकों या उनके करीबी परिवार को आभूषणों के उत्पादन या निर्यात का कोई अनुभव नहीं था। अनुमोदन समिति ने आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ भी देखीं:

I. फॉर्म-एफ में, आवेदक ने प्रस्तावित वस्तुओं का उल्लेख (i) सोना और (ii) सोने के आभूषण के रूप में किया है। इसलिए, "सोने के विनिर्माण" के संबंध में एक स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

II. प्रस्तावित वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) कोड पुराने प्रशुल्क के अनुसार उल्लिखित किए गए हैं जिन्हें नए प्रशुल्क में दिए जाने की आवश्यकता है।

III. एओए की पूरी कॉपी नहीं दी गई है। केवल एमओए की प्रति दी गई है।

IV. फॉर्म-एफ में उल्लिखित पता सुश्री स्निग्धा गोयल के आधार कार्ड में उल्लिखित पते से मेल नहीं खाता है, जिसे स्पष्ट/सुधार करने की आवश्यकता है।

V. श्री प्रशांत गर्ग को छोड़कर सभी निदेशकों की नियुक्ति के लिए डीआईआर-12 की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।

VI. श्री विजय कुमार सचदेवा के नाम से केवल एक पृष्ठ का पासपोर्ट जमा किया गया है जो 15.06.2016 को समाप्त हो चुका है। पासपोर्ट का पता वाला दूसरा पृष्ठ जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार, पते के साथ वैध पासपोर्ट की प्रति जमा करना आवश्यक है।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और आवेदक को कमियों के सुधार के साथ संशोधित फॉर्म-एफ जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि संपूर्ण दस्तावेज/जानकारी प्राप्त होने पर आंतरिक जांच की जा सकती है। इसके बाद आंतरिक मंजूरी के बाद ही इसे रखा जा सकेगा।

(3) <u>आईएसएम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करना</u>

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स आईएसएम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में "(i) सादे चांदी के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन निर्मित (71131141) (उत्पादन क्षमता: 150 किलोग्राम / वर्ष)"; (ii) सादे सोने के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन से निर्मित (71131911) (उत्पादन क्षमता: 1100 किलोग्राम प्रति वर्ष); (iii) सोने के हीरे के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन से निर्मित (71131913) (उत्पादन क्षमता: 2 किलोग्राम/प्रति वर्ष)" के निर्माण के लिए एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

3.2 श्री सौमिल गर्ग, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने आभूषणों की रचना, निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय विपणन से लेकर आभूषण व्यापार के सभी पहलुओं में अनुभव और अनुभव प्राप्त किया है क्योंकि उनका परिवार आभूषण व्यवसाय में है। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल उनके पास सादे सोने के आभूषणों के ऑर्डर हैं और वह अधिक कारोबार के लिए

सुरेंद्र मलिक

कई संभावित खरीदारों से बातचीत भी कर रहे हैं। यह नोट किया गया कि परिवार को इस व्यवसाय में अनुभव है।

3.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं:

I. श्रीमती मेहल अग्रवाल का पता फॉर्म-एफ/आईटीआर और पासपोर्ट/आधार में अलग-अलग बताया गया है। इसलिए, फॉर्म-एफ में सही पते के साथ इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

II. सादे सोने/चांदी के आभूषणों और जड़ित सोने-हीरे के आभूषणों के संबंध में अलग-अलग मूल्यवर्धन अनुमान नहीं दिए गए हैं।

III. परियोजना रिपोर्ट के अवलोकन के दौरान, यह पाया गया कि संयंत्र की स्थापित क्षमता अधिकतम क्षमता पर 100 किलोग्राम चांदी के आभूषण बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि फॉर्म-एफ में इसे 150 किलोग्राम के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसे इकाई द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

IV. निदेशक श्री सौमिल गर्ग के आईटीआर की प्रतियां 3 साल के बजाय दो साल यानी 2023-24 और 2022-23 के लिए जमा की गई हैं।

3.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) सादे चांदी के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन निर्मित (71131141) (उत्पादन क्षमता: 150 किलोग्राम / वर्ष) के निर्माण" के प्रस्ताव को मंजूरी दी; (ii) सादे सोने के हस्तनिर्मित आभूषण, मशीन से निर्मित (71131911) (उत्पादन क्षमता: 1100 किलोग्राम/वर्ष)" आवेदन में देखी गई कमियों के सुधार के अधीन हैं।

(4) <u>सॉफ्टलाइन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी का नाम, निदेशक और शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव।</u>

4.1 इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को निम्नलिखित दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है:

I. श्री रॉयस्टन चार्ल्स हार्डिंग की नियुक्ति के संबंध में उनके पासपोर्ट की प्रति के साथ डीआईआर-12।

II. निदेशक मंडल से श्री इगोर पाटलियाकोव की समाप्ति के संबंध में डीआईआर-12।

III. 100/- रुपये के गैर-न्यायिक मुद्रांक कागज़ (स्टांप पेपर) पर विधिवत नोटरीकृत कानूनी उपक्रम जिसमें कहा गया है कि 'सॉफ्टलाइन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर सभी संपत्तियां और देनदारियां कंपनी के नए नाम यानी "नोवेन्टिक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वैध रहेंगी।"

IV. कंपनी के नए नाम के संबंध में फोन नंबर, वैध ईमेल-आईडी, वेबसाइट पता आदि।

V. वर्तमान पंजीकृत कार्यालय पते के समर्थन में फॉर्म आईएनसी-22 की प्रति।

VI. 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। इसके अलावा, वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

सुरेंद्र मलिक

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार परिवर्तनों पर ध्यान दिया। हालाँकि, यह उपरोक्त पैरा 4.1 में उल्लिखित दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करने के अधीन है।

I. इकाई का नाम 'मैसर्स सॉफ्टलाइन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर 'मैसर्स नोवेंटिक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' कर दिया गया है।

II. निदेशकों में निम्नानुसार परिवर्तन:

पिछले निदेशक (इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार)	वर्तमान निदेशक
1. श्री विनोद सेतुमाधवन नायर 2. श्री अतुल राधाश्याम आहूजा 3. श्री राजेश हिंछधर दुबे 4. श्री इगोर पाटलियाकोव	1. श्री विनोद सेतुमाधवन नायर 2. श्री अतुल राधाश्याम आहूजा 3. श्री सतप्रीत सिंह 4. श्री रॉयस्टन चार्ल्स हार्डिंग

III. शेयरधारिता प्रतिरूप में निम्नानुसार परिवर्तन:

शेयरधारक का नाम	इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार पिछली शेयरधारिता	नाम परिवर्तन के बाद शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	% शेयरधारिता
(i) सॉफ्टलाइन ओवरसीज कार्पोरेशन	99.99%	-	-
(ii) सॉफ्टलाइन इंटरनेशनल ब्राज़ील	0.01%	-	-
(iii) सॉफ्टलाइन ओवरसीज लिमिटेड	-	8422092	65.51%
(iv) नोवेंटिक होल्डिंग पीएलसी	-	4432492	34.48%
(v) सॉफ्टलाइन इंटरनेशनल ब्राज़ील कॉमर्सियो ई लाइसेंसियामेंटो डे सॉफ्टवेयर ईरेली	-	1	0.01%
कुल	**100%**	**12,854,585**	**100%**
शेयरधारिता में परिवर्तन	**100%**		

4.3 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्देश दिया।

(5) <u>एलाइड इंडस्ट्रीज - इकाई द्वारा निकास अनुरोध के मद्देनजर प्रदर्शन की निगरानी।</u>

5.1 बताया गया कि मेसर्स एलाइड इंडस्ट्रीज को "हस्तनिर्मित/मशीन निर्मित सोने/चांदी के आभूषण (सादा/जड़ित) के निर्माण" के लिए स्वीकृति पत्र संख्या 07/01/2015-परियोजना/3662 दिनांक 15/04/2015 जारी किया गया था। इकाई ने अपना निर्यात उत्पादन 03/02/2016 से शुरू किया और इसका स्वीकृति पत्र 02/02/2021 तक वैध था जिसे आगे 31.12.2022 तक बढ़ा दिया गया था। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 29/01/2021 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया था और तदनुसार, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18/02/2021 के माध्यम से इकाई से निकास औपचारिकताओं के

सुरेंद्र मलिक

अनुपालन के लिए आवश्यक दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। अब, इकाई ने बाहर निकलने की सभी औपचारिकताओं का पालन कर लिया है।

5.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के अनुसार और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की नामांकित विशेषाधिकृत लेखापाल फर्म द्वारा प्रदान की गई सत्यापन शीट के अनुसार, इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है: -

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा आउटगो	एनएफई आय	डीटीए बिक्री	लंबित एफई	मूल्यवर्धन हासिल किया गया %	
पहला ब्लॉक						**आईएनआर में**	**अमरीकी डालर में**
2015-16	755.22	741.67	13.55	0.00	0.00	1.83%	3.51%
2016-17	4664.79	4622.53	42.26	0.00	0.00	0.91%	3.51%
2017-18	1848.33	1831.32	17.01	0.00	0.00	0.92%	3.50%
2018-19	2247.52	2220.57	26.95	0.00	0.00	1.21%	3.54%
2019-20	2268.58	2282.59	-14.01	0.00	0.00	0.62%	-0.62%
कुल	**11784.44**	**11698.68**	**85.76**	**0.00**	**0.00**		
दूसरा ब्लॉक							
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-

5.3 आगे बताया गया कि प्रदर्शन की जांच के दौरान निम्नलिखित देखा गया है:

(i) वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन में दिए गए मूल्यवर्धन विवरण के अनुसार, यह देखा गया है कि इकाई ने केवल सादे सोने के आभूषणों का निर्यात किया है।

(ii) इकाई ने भारतीय रुपये के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर में भी मूल्यवर्धन उपलब्धि का विवरण प्रस्तुत किया है। भारतीय रुपये में, इकाई ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान निर्धारित मूल्यवर्धन मानदंड हासिल नहीं किए हैं। हालाँकि, अमेरिकी डॉलर में, समान अवधि के लिए निर्धारित मूल्य मानदंड हासिल कर लिए गए हैं।

(iii) 2019-20 के दौरान, इकाई ने आईएनआर और अमेरिकी डॉलर दोनों में -0.62% का नकारात्मक मूल्यवर्धन हासिल किया है।

5.4 अनुमोदन समिति ने प्राप्त वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2015-16 से 2019-20 के बीच पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि 2020-21 के बाद से कोई निर्यात और आयात नहीं किया गया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

5.5 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि 2019-20 के दौरान, इकाई ने भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर दोनों में -0.62% का नकारात्मक मूल्यवर्धन हासिल किया है। वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के

सुरेंद्र मलिक

अनुसार, कुल आयातित इनपुट 2282.59 लाख रुपये दिखाया गया है। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 80 के अनुसार, "यदि कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई, वास्तविक डिफ़ॉल्ट के मामले में, न्यूनतम निर्दिष्ट शुद्ध विदेशी मुद्रा या निर्दिष्ट मूल्यवर्धन प्राप्त करने में विफल रहती है, तो ऐसी कमी को बाद में " इकाई एफओबी वैल्यू में कमी के एक प्रतिशत के बराबर राशि जमा करती है।

5.6 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

5.7 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 2019-20 के दौरान मूल्यवर्धन में कमी को नियमित करने का निर्णय लिया, जो कि एफओबी वैल्यू में कमी के एक प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने की शर्त पर होगा। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के कार्यालय को राशि की गणना करने और इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद उसी के संबंध में एक आदेश जारी करने का अधिकार दिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को इकाई द्वारा मूल्यवर्धन और अनुपालन में कमी के संबंध में आदेश जारी करने के बाद फाइल पर अंतिम निकास के मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया।

(6) <u>कैपजेमिनी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशक/शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव।</u>

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सी.पी.एस. बिष्ट और श्री पी.पी. सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री बिष्ट ने बताया कि निदेशकों में बदलाव के कारण कंपनी के शेयरधारिता प्रतिरूप में कोई बदलाव नहीं आया है।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान दिया:

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री सुजीत सरकार 2. श्री ह्यूबर्ट जिराउड 3. श्रीमती कल्पना राव 4. श्री आर रामास्वामी	1. श्री अश्विन यार्डी 2. श्रीमती अरुणा जयंती 3. श्री पॉल हर्मेलिन 4. श्री ऐमन इज़्ज़त 5. सुश्री मारिया पर्नास 6. सुश्री शोभा मीरा 7. श्री रामास्वामी राजारमन 8. श्रीमती कल्पना राव

6.3 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(7) <u>इडेमिया सिस्कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों/शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव।</u>

7.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान दिया:

सुरेंद्र मलिक

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री मैथ्यू डेविड फॉक्सटन 2. श्री आलोक मुखर्जी 3. श्री संजीव श्रिया	1. श्री मैथ्यू डेविड फॉक्सटन 2. श्री राहुल टंडन

7.2 अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि कंपनी के शेयरधारिता प्रतिरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पते में "507, 5वीं मंजिल, 1, शारदा चैंबर, प्लॉट नंबर 31, नरसी नाथा स्ट्रीट, भट बाजार मस्जिद, चिंचबंदर, मुंबई - 400009" से "12सी, डी विंग" 12वीं मंजिल, एमबीसी पार्क, कसारवडवली, घोड़बंदर रोड, ठाणे (पश्चिम), मुंबई-400615" में बदलाव का भी उल्लेख किया है, जिसके लिए इकाई को आईएनसी-22 की एक प्रति जमा करना आवश्यक है।

(8) <u>स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों/शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव।</u>

8.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान दिया:

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री मैथ्यू डेविड फॉक्सटन 2. श्री राहुल टंडन 3. श्री सेसिल डाबुरोन-डुओंग	1. श्री मैथ्यू डेविड फॉक्सटन 2. श्री राहुल टंडन

8.2 अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि कंपनी के शेयरधारिता प्रतिरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पते में "507, 5वीं मंजिल, 1, शारदा चैंबर, प्लॉट नंबर 31, नरसी नाथा स्ट्रीट, भट बाजार मस्जिद, चिंचबंदर, मुंबई - 400009" से "12सी, डी विंग" 12वीं मंजिल, एमबीसी पार्क, कसारवडवली, घोड़बंदर रोड, ठाणे (पश्चिम), मुंबई-400615" में बदलाव का भी उल्लेख किया है, जिसके लिए इकाई को आईएनसी-22 की एक प्रति जमा करना आवश्यक है।

(9) <u>रॉयल ज्वेलरी पैलेस - भागीदारों में परिवर्तन और इकाई के लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन।</u>

9.1 इकाई से कोई भी बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि पहले भी फर्म के साझेदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में बदलाव हुआ था, जिसे 06/12/2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। अब, इकाई ने फिर से भागीदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में बदलाव के बारे में सूचित किया है।

9.2 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने फर्मों के रजिस्ट्रार के साथ विधिवत पंजीकृत संशोधित साझेदारी विलेख की प्रति जमा नहीं की है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में भागीदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में निम्नलिखित परिवर्तनों पर

सुरेंद्र मलिक

ध्यान दिया, जो कि फर्मों के रजिस्ट्रार के साथ विधिवत पंजीकृत संशोधित साझेदारी विलेख प्रस्तुत करने के अधीन है:

शेयरधारक का नाम	इकाई की स्थापना के समय	साझेदार और लाभ/हानि शेयर अनुपात, जैसा कि अनुमोदन समिति दिनांक 06/12/2022 द्वारा अनुमोदित है	इकाई द्वारा सूचित वर्तमान भागीदार और लाभ/हानि शेयर अनुपात
श्री समीम शेख	50%	20%	76%
श्री अमज़द अली मलिक	50%	10%	04%
श्रीमती एलिजा खान	-	50%	-
श्री साहिल खान	-	20%	-
श्रीमती सहनारा बेगम	-	-	20%
पिछली शेयरधारिता के संदर्भ में शेयरधारिता में परिवर्तन		70%	76%

9.4 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि नए प्रशुल्क के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड प्राप्त किया जा सकता है।

(10) <u>सॉफ़्टेक्स फॉर्म की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता।</u>

10.1 यह सूचित किया गया कि इस कार्यालय को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जो सेवा गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा किए जा रहे अधिकृत संचालन के लिए सॉफ्टेक्स फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले पर 06/09/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई थी, जिसमें अनुमोदन समिति ने ऐसी इकाइयों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और इन सेवाओं के खिलाफ सॉफ्टेक्स दाखिल करने की आवश्यकता पर आरबीआई से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया था।

10.2 तदनुसार, इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 27/10/2022 और उसके बाद के पत्र दिनांक 07/03/2023 के माध्यम से आरबीआई से यह स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है कि क्या ऐसी इकाइयों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ जैसे "नैदानिक परीक्षण गतिविधियाँ, विपणन अनुसंधान सेवाएँ, विज्ञापन सेवाएँ, रचना " संपूर्ण डोमेन में सेवा" आदि सॉफ्टवेयर निर्यात की कसौटी के अंतर्गत आते हैं। इस इनपुट के आधार पर, कोई यह निर्णय ले सकता है कि क्या इन सेवाओं के लिए सॉफ़्टेक्स दाखिल करने की आवश्यकता है।

10.3 अब, आरबीआई ने 12/06/2023 को कार्यालय में प्राप्त पत्र दिनांक 02/06/2023 के माध्यम से दिनांक 05/04/2023 के पत्र की एक प्रति भेजी है जिसमें उन्होंने 12 जनवरी, 2016 को आरबीआई अधिसूचना संख्या फेमा 23 (आर)/2015-आरबी को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर संदर्भित करने का अनुरोध किया है, जैसा लागू हो।

10.4 आगे बताया गया कि 12 जनवरी, 2016 को आरबीआई अधिसूचना संख्या फेमा 23 (आर)/2015-आरबी के अनुसार, "सॉफ्टवेयर का अर्थ है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, चित्रकला, रचना, ऑडियो/वीडियो

सुरेंद्र मलिक

संकेत, किसी भी नाम से पुकारी जाने वाली या किसी भौतिक माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम पर कोई भी जानकारी"।

10.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी), व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) और सीडब्ल्यूएस को एक पत्र भेजने के साथ-साथ वाणिज्य विभाग के सेवा प्रभाग को प्रतिलिपि प्रदान करने का निर्देश दिया। इन सेवाओं के संबंध में स्पष्टीकरण कि क्या वे आरबीआई अधिसूचना में परिभाषित सॉफ्टवेयर के मानदंड के अंतर्गत आते हैं। इनमें से किसी भी प्रबुद्ध मंडल (थिंक टैंक) से इनपुट के बाद सॉफ्टेक्स दाखिल करने पर निर्णय लिया जाएगा।

(11) <u>टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर 4 और 5 का मेसर्स एक्का पूल्स एंड स्पा को स्थानांतरण और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्रमें एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स एक्का पूल्स एंड स्पा का प्रस्ताव।</u>

11.1 मेसर्स एक्का पूल्स एंड स्पा के मालिक श्री विनय गुप्ता और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री देवेंद्र सहाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

11.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि कानूनी फर्म ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अपनी राय प्रदान की है:

"नियम 19(4) किसी इकाई के स्वीकृति पत्र के लिए उद्यमी के अनुरोध पर विस्तार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है, जब इकाई अभी भी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है और उत्पादन या सेवा या व्यापार आदि शुरू नहीं किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों का नियम 19(4) एक सीमा अवधि प्रदान नहीं करता है जिसके पहले विस्तार आवेदन दायर किया जाना चाहिए, और इसलिए, एक्का पूल्स ने पत्र दिनांक 02.06.2014 के माध्यम से एक वैध विस्तार अनुरोध प्रस्तुत किया। अनुमोदन समिति ने 01.11.2022 को अपनी बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से टीसीएस से एक्का पूल्स में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी।

उपर्युक्त तथ्यों और आधारों के आलोक में यह राय है कि, यथास्थिति बनाए रखना तब प्रभावी हुआ जब नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्का पूल के विस्तार के आवेदन के संबंध में विचार-विमर्श के बीच में था, अब एक्का पूल द्वारा विस्तार अनुरोध को मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि 07.03.2023 को उच्च न्यायालय में रिट याचिका वापस लेने के कारण रोक हटा दी गई है।"

11.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट नंबर 4 और 5, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से मेसर्स एक्का पूल्स एंड स्पा में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने आगे, प्राप्त कानूनी राय के मद्देनजर, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(4) के संदर्भ में, मेसर्स एक्का पूल्स एंड स्पा को दिए गए दिनांक 07/06/2012 के स्वीकृति पत्र की वैधता को 10/10/2023 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया (अर्थात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 05/11/2014 से 07/03/2023 तक की रोक अवधि को ध्यान में रखते हुए, 06/06/2014 से एक वर्ष आगे)।

(12) <u>रोमसंस इंटरनेशनल - (i) अधिकृत परिचालन में अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं को शामिल करना और (ii) निर्यात और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के लिए मेडिकल सामान के घटकों (90330000) को शामिल करना।</u>

सुरेंद्र मलिक

12.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अधिकृत संचालन की मौजूदा सूची (एचएस कोड 90211000, 94042990, 87139090, 90219090, 90191090, 30059040, 30059060) (संलग्न सूची के अनुसार) अधिकृत संचालन में और निर्यात और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के लिए चिकित्सा सामान के घटकों (90330000) के तहत चिकित्सा डेंटल सर्जिकल या पशु चिकित्सा विज्ञान (डिस्पोजेबल चिकित्सा उपकरण) से संबंधित 37 अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

12.2 श्री अग्रवाल ने बताया कि सभी व्यापारिक वस्तुओं का निर्माण उनकी अपनी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें चिकित्सा उपकरणों के घटकों को बेचने की जरूरत है जो चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं और घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात के लिए 90330000 जोड़ने का अनुरोध किया।

12.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन में 37 अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं (संलग्न सूची के अनुसार) को शामिल करने के साथ-साथ निर्यात और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के लिए चिकित्सा वस्तुओं के घटकों (90330000) को शामिल करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

(i) व्यापारिक वस्तुओं की किसी भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) विनिर्माण गतिविधियों के लिए अनुमोदित वस्तुओं का व्यापार नहीं किया जाएगा।

(iii) इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए रखेगी और विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।

(iv) विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए निवल विदेशी मुद्रा स्थिति की निगरानी अलग से की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त